रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072024-255449
CG-DL-E-15072024-255449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2631] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946
No. 2631] NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(एसईज़ेड अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2767(अ).— यतः, मै. मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य के मगरपट्टा शहर, ग्राम हडपसर, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (जिसमे एलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर भी शामिल है) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1186(अ) दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 11.98 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, महाराष्ट्र सरकार ने पत्र संख्या एसईज़ेड-2023/सी.आर-26/आईएनडी-2 दिनांक 9 अकतूबर, 2023 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, सीप्ज़ एसईजेड ने 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचत करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसइजेड का कुल क्षेत्रफल 11.32 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	हिस्सा नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हड़पसार	130	14ए	0.0600
2.		130	16	0.2600
3.		140	4ए	0.0800
4.		140	8बी/2	0.0700
5.		140	10/3	0.0500
6.		140	12	0.0700
7.		140	14	0.0700
कुल				**0.6600**
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				**11.32**

[फा. सं. एफ. 2/129/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2767(E).—Whereas, M/s. Magarpatta Township Development and Construction Company Ltd., a private organisation, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services (including Electronic Hardware and Software) Special Economic Zone at Magarpatta City, Village Hadapsar, District Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 11.98 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1186(E) dated 20th July, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Magarpatta Township Development and Construction Company Ltd. has now proposed for de-notification of 0.66 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2023/C.R.26/Ind-2 dated 9th October, 2023;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.66 hectares of the Special Economic Zone.

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.66 hectares, thereby making resultant area as 11.32 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

Table for De-notification area

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Hissa Number	Total area (in hectares)
1.	Hadapsar	130	14A	0.0600
2.		130	16	0.2600
3.		140	4A	0.0800
4.		140	8B/2	0.0700
5.		140	10/3	0.0500
6.		140	12	0.0700
7.		140	14	0.0700
Total area for de-notification				**0.6600**
Total notified area of the SEZ after above de-notification				**11.32**

[F. No. F. 2/129/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.15 22:51:16 +05'30'